

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**

(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित )

आदिम जाति कल्याण विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक  | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप   | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)   | (3)  | (4)  | (5)                         | (6)                       |
| 895             | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.51<br>(प्रश्न क्रं.2132)<br>दि. 04-03-2015<br>(श्री हर्ष यादव) | आदिम जाति कल्याण विभाग सागर द्वारा वर्ष 2010 में क्रय की गई सामग्री का उपयोग नहीं किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | 1. जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।<br>2. पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाकर शेष 57 पम्प के वितरण की कार्यवाही की जावेगी। |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित)

उच्च शिक्षा विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 896             | अतारांकित प्रश्न सं.87<br>(प्रश्न क्रं.3706)<br>दि. 12-03-2015<br>(श्री जितू पटवारी) | ग्वालियर जिले में डॉ.वी.आर. अम्बेडकर महाविद्यालय, शास. महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में छात्रों को नियम विरुद्ध दो बार छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने एवं अन्य संस्थाओं में प्रवेश लिये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना। | 10 छात्रों जिनका प्रवेश अन्य संस्थाओं में पाया गया है उन संस्थाओं पर संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जाना है। |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित )

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप   | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)  | (5)                         | (6)                       |
| 897             | अतारांकित प्रश्न सं.83<br>(प्रश्न क्रं.2456)<br>दि. 02-03-2015<br>(श्री कुँवरजी कोठार) | प्रदेश में कतिया/बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु उनके द्वारा निर्मित सामग्री शासनादेश के बावजूद क्रय न किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।  | प्रदायकर्ता के विरुद्ध अपारधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश प्रबंध संचालक खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को दिनांक 13-07-2015 को दिये गये हैं। |                             |                           |
| 898             | अतारांकित प्रश्न सं.84<br>(प्रश्न क्रं.2457)<br>दि. 02-03-2015<br>(श्री कुँवरजी कोठार) | खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उज्जैन एम्पोरियम द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में अपंजीकृत इकाई मेसर्स इनायतपुर उद्योग (सोमा मेमोरियल शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति) कोलार रोड भोपाल से गाज बेण्डेज क्रय किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | आपराधिक अनियमितताओं के कारण श्री शिन्दे के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु पुलिस थाना, माधव नगर, उज्जैन को लिखा है।                       |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित )

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप                       | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)                                  | (5)                         | (6)                       |
| 899             | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.2<br>(प्रश्न क्रं.118)<br>दि. 11-03-2015<br>(श्री मोती कश्यप) | कृषि उपज मण्डी समिति कटनी के 230 दाल, राइस मिलों व ट्रेडरों द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर खाद्यान्न का क्रय कर प्रसंस्करण एवं विक्रय किये जाने से सम्बन्धित मण्डी समिति कटनी कर्मचारियों द्वारा समय-सीमा में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित )

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप            | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)                       | (5)                         | (6)                       |
| 900             | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.100<br>(प्रश्न क्रं.2151)<br>दि. 27-07-2015<br>(श्री अशोक रोहाणी) | राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल द्वारा जबलपुर जिले में वर्ष 2011-12 में क्रय की गई धान के रख-रखाव में लापरवाही किये जाने से धान खराब होने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | इसकी जांच कराई जा रही है। |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित )

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक  | आश्वासन का संक्षिप्त विषय   | आश्वासन का रूप                         | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)   | (3)   | (4)                                    | (5)                         | (6)                       |
| 901             | अतारांकित प्रश्न सं.7<br>(प्रश्न क्रं.84)<br>दि. 21-07-2015<br>(श्री महेन्द्र सिंह<br>कालूखेडा) | व्यापम परीक्षाओं में शासन को प्राप्त शिकायतों की जांच के दौरान आये तथ्यों के आधार पर शेष आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाना। | 589 आरोपियों की गिरफ्तारी होना शेष है। |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित)

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय   | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 902             | अतारांकित प्रश्न सं.7<br>(प्रश्न क्रं.255)<br>दि. 24-02-2015<br>(श्री भारत सिंह<br>कुशवाह) | ग्वालियर जिले में 01 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2014 की अवधि में शासन द्वारा संधारित मंदिरों के जीर्णीकरण हेतु स्वीकृत राशि आवंटित किया जाना। | शेष शासन संधारित मंदिरों को शीघ्र राशि आवंटित की जाएगी। |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित )

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय   | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 903             | तारांकित प्रश्न सं.23<br>(प्रश्न क्रं.2602)<br>दि. 03-03-2015<br>(श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया)) | जबलपुर जिले के डेयरी फार्मस् को विस्थापित किया जाना   | मार्गदर्शी सिद्धांत में संशोधन संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।  |                             |                           |
| 904             | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.65<br>(प्रश्न क्रं.3125)<br>दि. 16-03-2015<br>(डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)     | रतलाम जिले की नगरपालिका परिषद जावरा अन्तर्गत कालोनाइजरो द्वारा निर्मित अवैध कालोनियों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाना। | अवैध कालोनियों के निर्माण कार्यों का सर्वे कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।  |                             |                           |
| 905             | अतारांकित प्रश्न सं.11<br>(प्रश्न क्रं.990)<br>दि. 03-03-2015<br>(श्री देवेन्द्र वर्मा)                | खण्डवा जिले की खण्डवा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत निर्मित अवैध कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना।                      | मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम 1998 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जायेगी। |                             |                           |

| (1) | (2)   | (3)   | (4)   | (5) | (6) |
|-----|---|---|---|-----|-----|
| 906 | <p>अतारांकित प्रश्न<br/>सं.101<br/>(प्रश्न क्रं.4371)<br/>दि. 16-03-2015<br/>(श्री के.पी. सिंह)</p> | <p>रायसेन जिला अन्तर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मण्डीदीप द्वारा वर्ष 1992 में दीनदयाल पुरम आवासीय योजना समर्धा, मण्डीदीप में भाड़ा क्रय आवासीय योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों से पंजीयन की जमा कराई राशि एवं मकान/भूखण्ड अभी तक उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में राशि वापस की जाना।</p> | <p>शेष आवेदकों की राशि वापसी की प्रक्रिया प्रचलित है।</p> |     |     |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित)

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप                         | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)                                    | (5)                         | (6)                       |
| 907             | तारांकित प्रश्न सं.14<br>(प्रश्न क्रं.156)<br>दि. 20-07-2015<br>(श्री कमलेश्वर पटेल) | सीधी जिले में सहायक अध्यापक एवं अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की जाना। | पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
 (जुलाई, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित)

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक  | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)   | (3)  | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 908             | तारांकित प्रश्न सं.2<br>(प्रश्न क्रं.627)<br>दि. 24-07-2015<br>(श्री सतीश मालवीय) | उज्जैन जिले की तहसील घट्टिया के ग्राम कालियादेह में म.प्र. शासन सहकारिता एवं निजी स्वामित्व की भूमियों को वक्फ बोर्ड द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर राजपत्रित कराये जाने की जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | 1. जी हां जांच की जा रही है।<br>2. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही संभव होगी। |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
**(जुलाई, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित )**

राजस्व विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय   | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 909             | तारांकित प्रश्न सं.3<br>(प्रश्न क्रं.654)<br>दि. 22-07-2015<br>(श्री महेन्द्र सिंह<br>सिसौदिया)          | गुना जिला में राजस्व भूमि एवं दखल रहित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना।   | 1. अतिक्रमकों को भूमि से बेदखल किया जावेगा।<br>2. म्र.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत कार्यवाही कर हटाया जावेगा। |                             |                           |
| 910             | तारांकित प्रश्न सं.25<br>(प्रश्न क्रं.1206)<br>दि. 22-07-2015<br>(श्री लोकेन्द्र सिंह<br>तोमर)           | खण्डवा जिले की तहसील पुनासा आर.आई. सर्कल किल्लौद में फोती नामांतरण के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जाना। | 03 लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही प्रचलित है।  |                             |                           |
| 911             | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.17<br>(प्रश्न क्रं.764)<br>दि. 29-07-2015<br>(श्री सत्यपाल सिंह<br>सिकरवार) | मुरैना जिले में वर्ष 2008 में पटवारी चयन परीक्षाओं में हुई अनियमितता के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।           | दोषी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु, कलेक्टर मुरैना ने सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा है  |                             |                           |

| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5) | (6) |
|-----|--|--|---|-----|-----|
| 912 | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.73<br>(प्रश्न क्रं.1152)<br>दि. 22-07-2015<br>(श्री हेमन्त खण्डेलवाल)   | बैतूल एवं आठनेर तहसील में सीमांकन, नामांतरण, फौती नामांतरण एवं अविवादित बंटवारे के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना।   | लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण किया जावेगा।   |     |     |
| 913 | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.74<br>(प्रश्न क्रं.1156)<br>दि. 22-07-2015<br>(श्री बहादुर सिंह चौहान)  | उज्जैन जिले के महिदपुर बस स्टेण्ड का सीमांकन शीघ्र कराया जाना।   | साम्प्रदायिक समन्वय स्थापित होने पर सीमांकन किया जा सकेगा।  |     |     |
| 914 | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.79<br>(प्रश्न क्रं.1187)<br>दि. 22-07-2015<br>(श्री सूबेदार सिंह रजौधा) | मुरैना जिले की जौरा विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से जनहानि एवं पशुधन हानि से प्रभावितों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।  | नियमानुसार निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है।   |     |     |
| 915 | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.16<br>(प्रश्न क्रं.3406)<br>दि. 20-03-2015<br>(श्री चम्पालाल देवड़ा)    | 1. रायसेन एवं देवास जिले में व्यपवर्तित भूमियों पर भू-भाटक की बकाया राशि की वसूली की जाना।<br>2. कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त कृषकों के छूटें खाता नम्बरों की गलत प्रविष्टि के लंबित आवेदन पत्रों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना।<br>3. पटवारी रिकार्ड एवं कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड में जमीनों के आ रहे अन्तर सुधारने हेतु लंबित आवेदन पत्रों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना। | 1. वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।<br>2. कृषकों के छूटे खाता नम्बरों की गलत प्रविष्टि में सुधार के 42 आवेदन पत्र लंबित है, जिन पर कार्यवाही प्रचलित है।<br>3. लंबित आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर समय-सीमा में निराकरण कर दिया जावेगा। |     |     |

| (1) | (2)   | (3)   | (4)   | (5) | (6) |
|-----|---|---|---|-----|-----|
| 916 | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.118<br>(प्रश्न क्रं.3828)<br>दि. 13-03-2015<br>(श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल) | कटनी जिले में डायवर्सन के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना।   | डायवर्सन प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।  |     |     |
| 917 | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.146<br>(प्रश्न क्रं.4097)<br>दि. 13-03-2015<br>(श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया)     | जिला मुरैना की विधानसभा क्षेत्र दिमनी में नामान्तरण सीमांकन एवं बंटवारा के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निपटारा किया जाना।  | प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत कर दिया जावेगा।  |     |     |
| 918 | अतारांकित प्रश्न सं.3<br>(प्रश्न क्रं.760)<br>दि. 13-03-2015<br>(श्री रामनिवास रावत)                        | शयोपुर जिले में भूमि के नामान्तरण एवं बंटवारा के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाना।  | आदेश प्रदान किये गये तथा 112 शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रचलित है।   |     |     |
| 919 | अतारांकित प्रश्न सं.18<br>(प्रश्न क्रं.1835)<br>दि. 13-03-2015<br>(श्रीमती रेखा यादव)                       | छतरपुर जिले के अनुभाग बिजावर एवं अनुभाग बड़ामलहरा के अन्तर्गत सन्निहित में कुल 116 वन खण्डों की भूमि की लंबित जांच समय-सीमा में पूर्ण किया जाना।  | भूमि की जांच लंबित है।  |     |     |
| 920 | अतारांकित प्रश्न सं.49<br>(प्रश्न क्रं.1977)<br>दि. 02-03-2015<br>(श्रीमती नंदनी मरावी)                     | जबलपुर जिले की तहसील सिहोरा एवं कुण्डम में दिनांक 31.10.2014 की स्थिति में फौती नामांतरण लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाना एवं मुख्यमंत्री आवास के 775 पट्टे वितरण की जांच एवं पट्टे वितरण किया जाना। | तहसील कुंडम में फौती नामांतरण के कुल 115 प्रकरण लंबित है। मुख्यमंत्री आवास के 775 पट्टे संबंधित प्रकरण पट्टवारियों को जांच हेतु दिए गए हैं। |     |     |

| (1) | (2)   | (3)   | (4)  | (5) | (6) |
|-----|---|---|--|-----|-----|
| 921 | अतारांकित प्रश्न सं.104<br>(प्रश्न क्रं.5190)<br>दि. 20-03-2015<br>(श्री रामनिवास रावत) | शुयोपुर जिले की कराहल तहसील के<br>ग्राम कर्राई में 1.045 हेक्टेयर भूमि पर<br>बसाहट को आबादी घोषित किया<br>जाना। | आबादी घोषित करने की कार्यवाही<br>प्रचलित है। |     |     |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
**(जुलाई, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित )**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 922             | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.57<br>(प्रश्न क्रं.1020)<br>दि. 24-07-2015<br>(श्री हर्ष यादव)        | 1. वर्ष 2010-11 में प्राधिकारी द्वारा औषधियों का बगैर जांच कराये शासकीय चिकित्सालयों में वितरण एवं उपयोग की विस्तृत जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।<br>2. प्रदेश में दवा प्रदायकर्ता कंपनियों द्वारा की गई अनियमितता की जांच एवं जांच में दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जाना। | 1. प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है।<br>2. आक्षेपित अनियमितताओं की जांच की जा रही है एवं दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।  |                             |                           |
| 923             | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.68<br>(प्रश्न क्रं.1106)<br>दि. 24-07-2015<br>(श्री शैलेन्द्र पटेल)   | प्रदेश में वर्ष 2014-15 में दवा कम्पनियों द्वारा एक्सपायरी डेट की दवाएँ सप्लाई करने वाली दवा कम्पनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।  | केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला कोलकाता की जांच/विश्लेषण रिपोर्ट अपेक्षित है।   |                             |                           |
| 924             | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.105<br>(प्रश्न क्रं.1588)<br>दि. 24-07-2015<br>(श्री नारायण त्रिपाठी) | सतना जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में दवा खरीदी में अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।  | 1. संचालनालय द्वारा प्राथमिक जांच में सिविल सर्जन सतना द्वारा अनियमितताएं पाई गई हैं, प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है।<br>2. दवा क्रय में पाई गई अनियमितता की विस्तृत जांच की जा रही है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। |                             |                           |

| (1) | (2)   | (3)   | (4)   | (5) | (6) |
|-----|---|---|---|-----|-----|
| 925 | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.192 (प्रश्न क्रं.5089) दि. 17-03-2015 (श्री दीवानसिंह विट्टल पटेल) | बड़वानी जिले में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में ए.एन.एम. एवं फार्मासिस्ट की भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन न किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।                              | जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।   |     |     |
| 926 | अतारांकित प्रश्न सं.98 (प्रश्न क्रं.4436) दि. 17-03-2015 (श्री रामनिवास रावत)                   | खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 1954 के अन्तर्गत खाद्य औषधी प्रशासन विभाग में नियुक्ति/पदोन्नति की जाना।  | 1. कार्यवाही प्रचलन में है।<br>2. प्रचलित भर्ती नियम के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।  |     |     |
| 927 | अतारांकित प्रश्न सं.146 (प्रश्न क्रं.5194) दि. 17-03-2015 (श्री रामनिवास रावत)                  | 1. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।<br>2. औषधि निरीक्षक को वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जाना।<br>3. वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के रिक्त पद पदोन्नति से भरा जाना। | 1. दिनांक 04 मार्च 2003 के मॉडल रोस्टर अनुसार कार्यवाही की जा रही है।<br>2. पदोन्नति संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।<br>3. इनकी पदोन्नति हेतु विभाग प्रयासरत् है। |     |     |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर,2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित )

वन विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक  | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप                            | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| 928             | अतारांकित प्रश्न सं.105<br>(प्रश्न क्रं.2855)<br>दि. 03-03-2015<br>(डॉ. गोविन्द सिंह) | अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में वन अधिकार पत्र प्राप्त व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीबद्ध वन अपराधों के प्रकरणों को समाप्त किया जाना। | परीक्षणोपरांत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
**(जुलाई, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित)**

सहकारिता विभाग

पूर्ण उत्तर 2015(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक   | आश्वासन का संक्षिप्त विषय  | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)  | (3)  | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 929             | परिवर्तित तारांकित प्रश्न सं.45<br>(प्रश्न क्रं.1259)<br>दि. 27-07-2015<br>(श्री मनोज सिंह पटेल) | मानव कल्याण गृह निर्माण सहकारी साख संस्था इन्दौर द्वारा क्रय की गई भूमि शासन से अनुमति प्राप्त किये बिना बेचे जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।              | जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिये जा सकेंगे।  |                             |                           |
| 930             | अतारांकित प्रश्न सं.147<br>(प्रश्न क्रं.2365)<br>दि. 27-07-2015<br>(श्री मानवेन्द्र सिंह)        | मा. उच्च न्यायालय के आदेश पर सहकारी संस्थाओं का आडिट एवं छतरपुर के सहकारी उपपंजीयक द्वारा की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।                               | 1. जी हां।<br>2.उसके परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।            |                             |                           |
| 931             | अतारांकित प्रश्न सं.173<br>(प्रश्न क्रं.2600)<br>दि. 27-07-2015<br>(श्री नारायण त्रिपाठी)        | भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा लाभांश के वितरण में गड़बड़ी व विभिन्न अधोसंरचना व विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायतों पर गठित जांच दल के जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना। | शिकायत की जांच हेतु जांच दल गठित है, जांच प्रक्रियाधीन है, यथाशीघ्र जांच पूर्ण कराई जायेगी। |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**दिसम्बर, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन**  
(जून-जुलाई, 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को पटलित )

सामान्य प्रशासन विभाग

पूर्ण उत्तर 2014(खण्ड- 5)

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमांक  | आश्वासन का संक्षिप्त विषय   | आश्वासन का रूप  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---|---|---|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)   | (3)   | (4)   | (5)                         | (6)                       |
| 932             | अतारांकित प्रश्न सं.11<br>(प्रश्न क्रं.205)<br>दि. 01-07-2014<br>(श्री रामनिवास रावत) | वर्ष 2013-14, 2014-15 में श्योपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के निकटतम परिजनों एवं घायलों को नियमानुसार समय सीमा में आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।   | प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं दो माह में निराकरण कर दिया जायेगा।               |                             |                           |
| 933             | अतारांकित प्रश्न सं.134<br>(प्रश्न क्रं.2789)<br>दि. 28-07-2015<br>(श्री आरिफ अकील)   | मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में माह अक्टूबर 2011 से जुलाई 2013 तक की अवधि में पदस्थ रहे मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शफीक उद्दीन सैयद द्वारा उज्जैन, इन्दौर, नीमच आदि जिलों में क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर वक्फ संपत्तियों की अवैध लीज सम्पत्तियों का अवैध हस्तांतरण एवं किरायेदारी लेने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना। | श्री शफीक उद्दीन सैयद के विरुद्ध प्रश्नांश में उल्लेखित मामलों में आरोप पत्र जारी किए गए हैं। |                             |                           |